

कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.3-15(सी)A-1419/अनु:3/डी-737

दिनांक- 15/6/22

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पंजीयन आदेश संख्या:-एफ.3-15(सी)A-1419/अनु:3/डी-2024 दिनांक 29.09.2020 द्वारा मैसर्स मनोहर लाल आंजना, ग्राम बसेड़ा, तहसील छोटी सादड़ी, जिला-प्रतापगढ़ को 'ए' श्रेणी में स्थायी रूप से पंजीकृत किया गया था। अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त प्रतापगढ़ द्वारा पत्रांक 131 दिनांक 23.06.2021, अति.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग-द्वितीय, उदयपुर द्वारा पत्रांक 1695 दिनांक 09.03.2022 एवं अति.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग-प्रथम उदयपुर द्वारा पत्रांक 832 दिनांक 08.03.2022 के द्वारा अवगत कराया कि, उक्त फर्म को निम्न कार्य आवंटित किये गये थे:-

1. Construction of work regarding Rehabilitation of Rural Roads MDR/ODR/VR under package No. RJ-26-01/RIDFXXVI/Reh./2020-21 Distt. Pratapgarh, amounting to Rs. 152.00 Lacs.
2. Rehabilitation of Rural roads (MDR, ODR & VR) Under RIDF-XXVI Package No. RJ-10-03/5054/RIDF-XXVI/2020-21 Amounting to Rs. 74,75,006/-
3. Rehabilitation of Rural roads (MDR, ODR & VR) Under RIDF-XXVI Package No. RJ-10-04/5054/RIDF-XXVI/2020-21 Amounting to Rs. 74,74,428/-
4. Rehabilitation of Rural roads (MDR, ODR & VR) Under RIDF-XXVI Package No. RJ-10-03/5054/RIDF-XXVI/2020-21 Amounting to Rs. 1,62,84,931/-

फर्म द्वारा कई बार पत्राचार के बाद भी उक्त कार्यो सम्पादन नहीं किया, जिसके फलस्वरूप उक्त कार्य विज्ञा किये गये एवं सम्भाग कार्यालयों द्वारा फर्म को पंजीयन नियमों के तहत भविष्य में होने वाली निविदाओं में भाग लेने से वंचित करने की अनुशंषा प्रस्तुत की गई। जिस क्रम में फर्म को इस कार्यालय के पत्रांक:-एफ.3-15(सी)AA-1068/अनु:3/डी-1798 दिनांक 15.11.2021, समसंख्यक पत्रांक-30 दिनांक 05.04.2022 एवं पत्रांक-349 दिनांक 11.05.2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये, जिसका फर्म द्वारा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः अति.मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. संभाग-द्वितीय, उदयपुर एवं अति.मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. संभाग-प्रथम, उदयपुर द्वारा प्रस्तुत अभिशंषा के आधार पर मैसर्स मनोहर लाल आंजना, ग्राम बसेड़ा, तहसील छोटी सादड़ी, जिला-प्रतापगढ़ के उक्त पंजीयन को लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम के नियम 334 के परिशिष्ट XVI, अनुभाग VIII पैरा VIII.5(I) के अनुसरण में इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि हेतु समस्त निविदाओं में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(संजीव माथुर)

मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, सिंचाई/जन-स्वास्थ्य अभि. विभाग/भू-जल विभाग, जोधपुर।
3. मुख्य अभियंता(सिविल) राज.राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., जयपुर।
4. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. प्रबन्धक निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी.सी.लि., जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
7. अति.मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. (समस्त) ।
8. निदेशक अभियांत्रिक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
10. अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. (समस्त)
11. तकनीकी सहायक प्रथम/ अधीक्षण अभियंता(भवन/पथ/राराऊ मार्ग/ई-टेंडरिंग, मु.अ. कार्यालय, सा. नि.वि.जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर को उक्त आदेश सा.नि.वि. की विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
13. मैसर्स मनोहर लाल आंजना, ग्राम बसेड़ा, तहसील छोटी सादड़ी, जिला-प्रतापगढ़

(सुरेश चन्द पारीक)

अधिकांशी अभियन्ता(मुख्यालय)
सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर